न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—77/2018/223 (2018/00077)

1. श्रीमती सुगनी देवी पत्नि स्व0 सुवालाल, जाति लखारा, नि0 ग्राम मकरेड़ा तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 सुवालाल पत्नि सुगचन्द, जाति लखरा, निवासी ग्राम आनन्दपुर कालू, तह0 जैतारण, जिला पाली ।
3. राजकुमार पुत्र स्व सुवालाल, जाति लखारा, नि0 ग्राम मकरेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती सीतादेवी पुत्री हीरालाल पत्नि नत्थमल, जाति लखारा, निवासी ग्राम लखारों का मौहल्ला, तह0 जैतारण, जिला पाली ।
5. श्रीमती नैनादेवी पुत्री हीरालाल पत्नि राजूराम, जाति लखारा, नि0 ग्राम आनन्दपुर कालू, तह0 जैतारण, जिला पाली ।
6. राजेश पुत्र हीरालाल, जाति लखारा, नि0 2/24, हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी, कंचन नगर, अजमेर ।
7. अशोक पुत्र रामेश्वर लाल, जाति लखारा, निवासी ग्राम चान्दारूण, तह0 डेगाना, जिला नागौर ।
8. प्रवीण पुत्र रामेश्वरलाल, जाति लखारा, नि0 ग्राम चान्दारूण, तहसील डेगाना, जिला नागौर ।
9. कु0 आशा पुत्री रामेश्वरलाल, जाति लखारा, नि0 ग्राम चान्दारूण, तह0 डेगाना, जिला नागौर ।
10. लालचंद पुत्र श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि कल्याणमल, जाति लखारा, नि0 लीडी'—मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. सूरजकरण पुत्र श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि कल्याणमल, जाति लखारा, नि0 ग्राम लीडी—मांगलियावास, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
12. श्रीमती लाली देवी पुत्री श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि कल्याणमल, जाति लखारा, नि0 हलवाई वाली गली, सब्जी मण्डी के पास, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
13. श्रीमती फूलीदेवी पत्नि मदनलाल पुत्री श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि कल्याण—मल, जाति लखारा, नि0 ग्राम सथाना, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर । राजेश पुत्र हीरालाल स्वंय एवं अन्य समस्त अपीलांटस जरिये मुख्तयार—आम राजेश पुत्र हीरालाल, जाति लखारा, नि0 2/24, हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी, कंचन नगर, अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर. ।
2. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. श्रीमती मैना देवी पुत्री स्व0 सुवालाल पत्नि रामप्रसाद, जाति लखारा, नि0 गफूरिया का भट्टा काली मंदिर के पास, सरकारी स्कूल के पीछे, जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर। **तलबी बंद**

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 23.2.2018 अंतर्गत वाद संख्या 26/2016 .

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः– 7.3.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.2.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 का प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मकरेड़ा, तह0 पीसांगन अवस्थित चौसाला खसरा नंबर 260 कुल रकबा 3–9–0 बीघा में से रकबा 3–5–0 किस्म बरड़ा की कृषि भूमि जो कि श्रीमती रामप्यारी पत्नि मोड़ू, जाति लखारा निवासी मकरेड़ा को आवंटन अधिकारी के द्वारा राजस्व कैम्प मकरेड़ा में आवंटन आदेश दिनांक 15.1.1983 के आवंटित की गई थी जिसके वर्किंग खसरा नंबर 369 के वर्तमान खसरा संख्या 16161 का कुल रकबा 0.75 है0 में से 0.37 है0, खसरा संख्या 1662 का कुल रकबा 0.10 है0 में से 0.05 है एवं खसरा संख्या 1664 कुल रकबा 0.23 है0 में से 0.10 है0 बने है । श्रीमती रामप्यारी का स्वर्गवास हो चुका है, श्रीमती रामप्यारी के वारिसान वादीगण एवं प्रफोमा प्रतिवादी संख्या 3 है । उक्त भूमि का इंद्राज वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से कर दिया गया एवं किस्म बरड़ा के स्थान पर गै0मु0रास्ता का अंकन कर दिया जबकि भू–प्रबंध विभाग का इस प्रकार इद्रांज परिवर्तन किये जाने का कोई अधिकार नहीं था । श्रीमती रामप्यारी का कब्जा आवंटन दिनांक से एवं उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 का चला आ रहा है । उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान जमाबंदी में इंद्राज किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के विधिक अधिकारों के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे एवं न ही उक्त आराजी किसी अन्य को आवंटन या नियमन की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.2.2018 को वादीगण/अपीलांटस का वाद निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वज श्रीमती रामप्यारी को दिनांक 15.1.1983 को विधिवत् आवंटन हुई थी तब से वादीगण/अपीलांटस पुश्तैनी वादग्रस्त पर आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर काबिज चले आ रहे है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने राजस्व अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

किये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गलत मूल्यांकन कर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण का विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजियात अपीलांटस के पूर्वज की आवंटित भूमि है जिसे राजस्व एजेन्सी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था । विवादित आराजियात वादीगण की दादी रामप्यारी पत्नि मोडू को आवंटन होने के बाद अंतिम चौसाला जमाबंदी में खातेदारी का इंद्राज दर्ज किया गया है, इसके बाद वर्किंग जमाबंदी में दर्ज है, मात्र हाल खसरा आराजी में दौराने बंदोबस्त विभाग ने गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम इंद्राज दर्ज कर दिया जिसकी दुरूस्ती की जानी आवश्यक है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पूर्वज के नाम आवंटन के आधार पर मिली खातेदारी अधिकारों को बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय व आदेशों के बिना विधिक प्रकिया अपनाये निरस्त नहीं किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । हाल खसरा नंबर 1616, 1662, 1664 किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दी गई जो स्वंय पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2017 के अनुसार मौके पर कोई रास्ता नहीं है न ही कोई प्रस्तावित रास्ता है । भू–प्रबंध विभाग को दौराने बंदोबस्त मात्र पूर्व इंद्राज व तरमीम को दौहराना होता है न कि परिवर्तन करना। भू–प्रबंध विभाग ने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर विवादित भूमि किस्म एवं खातेदारी परिवर्तन करने में त्रुटि कारित की है जो दुरूस्ती योग्य है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वादीगण का वाद खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.2018 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 (10) 2003 पेज 290 एवं आर0आर0डी0 1990 पेज 17 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित की गई है । विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि की किस्म भी गै0मु0रास्ता है जिसकी खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमियां सिवायचक होने से हमें हस्तातंरित की है । जिला कलक्टर के हस्तातंरण आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 जिसमें खसरा नंबर 207 रकबा 3–9–10 बीघा ग्राम मकरेड़ा तहसील पींसागन में स्थित है में से 3–05–00 बीघा श्रीमती

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रामप्यारी पत्नी मोडू जाति लखारा निवासी मकरेड़ा तहसील पींसागन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्व कैम्प मकरेड़ा, को दिनांक 15.01.1983 को आवंटित की गई। जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 369 रकबा 3–9–10 में 3–5–0 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 1161 रकबा 0.75 में से 0.37 है0, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.10 है0 में से 0.05 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1664 का कुल रकबा 0.23 में से 0.10 है0 बने है। जिस पर श्रीमती राम प्यारी को कब्जा काश्त था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा काश्त रहा है। वर्तमान जमाबंदी में विवादित आराजियात का भू–प्रबन्ध विभाग, अजमेर द्वारा किस आदेश के तहत गैरमुमकिन बरड़ा के स्थान पर गैरमुमकिन रास्ता की गई इसका प्रथमदृष्टया विवेचन किये बिना आदेश पारित किया है। यहॉ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि भू–प्रबन्ध विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्टियों को दोहराने का ही अधिकार है न कि उन्हे परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा समक्ष अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक है तो ही तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलांटस/वादी जो स्वंय वाद लेकर उपस्थित हुआ है, उसे अपने को प्रमाणित किये जाना का अवसर दिया जाना चाहिए। अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एवं तनकीयात कायम किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया हैं जो विधि सम्मत नही है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2018 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,पींसागन द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.2.2018 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर यथासंभव 6 माह में निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से क्रम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा) 7/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 7.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा) 7/3/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर